कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्याः–1784/सी0ई0ओ0–1–   लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल, 2014

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 के संदर्भ में राज्य के सभी मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा),2003 की धारा 4 के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है।

उक्त के दृष्टिगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के सम्बन्ध में जानकारी हेतु पैम्पलेट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पत्र के साथ **''धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है। उल्लंघन करने पर 200/– रूपये तक जुर्माना किया जायेगा''** लिखे चेतावनी संकेतक स्लोगन से संबंधित ए–4 साइज का पेज भी संलग्न किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त नियमों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर तथा उसे समस्त संबंधित के संज्ञान में लाते हुए ए–4 साइज के पेज का दो भाग करते हुए उस पर उल्लिखित स्लोगन को प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर (ऐसे स्थल पर जहां से मतदाता, **मतदान केन्द्र** के अन्दर प्रवेश कर रहे हों) लोगों की जानकारी हेतु चिपकाने का कष्ट करें। कृपया यह भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि उक्त चेतावनी संकेतक स्लोगन की फोटो प्रतियां नियमविहित प्रक्रिया अपनाते हुए अधिकतम रूपये 0.55 की दर से कराई जायें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय
07-04-14.

(डा0 बलकार सिंह)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या–1784(1)/सी0ई0ओ0–1 तद्दिनॉकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3– कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हेल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

07-04-14.

(डा0 बलकार सिंह)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।